न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह
जिला मुरैना (म0प्र0)

प्र. क्र./94/2010-11/अ-2

मध्यप्रदेश शासन
– आवेदक

बनाम

श्री रामचरन लाल शिक्षा एवं पर्यावरण समिति द्वारा सचिव राघवेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाति ब्रा. नि. कोर्ट रोड पोरसा
अनावेदक

(पारित आदेश दिनांक 3/9/11)

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीक्षक भू–अभिलेख डायवर्सन मुरैना की ओर से प्रकरण प्रतिवेदन के साथ इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। अधीक्षक डायबर्सन द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि अनावेदक / आवेदक श्री रामचरन लाल शिक्षा एवं पर्यावरण समिति द्वारा सचिव राघवेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाति ब्रा. नि. कोर्ट रोड पोरसा द्वारा ग्राम रजौधा की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 6095/2 के सम्पूर्ण भाग / अंश भाग रकबा 33750 वर्गफिट को आवासीय / व्यावसायिक प्रयाजन हेतु कृषि भिन्न आशय म परिवर्तित कर लिया है। अतः नियमानुसार शास्ति अधिरोपित करते हुये पुनः निर्धारणप रूपये 2059/- प्रीमियम रूपये 4708/- वर्ष 2010-11 से कायम किया जावें।

2. अधीक्षक भू अभिलेख डायवर्सन से प्राप्त प्रकरण न्यायालय की पंजी में दर्ज किया गया। अनावेदक को तलब किया जाकर सुना गया / अनावेदक उपस्थिति नही हुआ उसके विरूद्ध एक पक्षीय किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा पटवारी से अभिलेख मंगाकर अवलोकन किया। प्रश्नाधीन भूमि आवेदक / अनावेदक गण के स्वामित्व की कृषि भूमि है जिसे अधीक्षक डायवर्सन के प्रतिवेदन अनुसार कृषि भिन्न आशय में परिवर्तित कर लिया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं मध्यप्रदेश भू राजस्व गृहाता 1559 की धारा 172 (3) के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का निम्न शर्तो पर निम्न शर्तो पर पुन : निधारण किया जाना उचित समझता है।

1– निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से अपनी भूमि पर पाँच फीट भूमि छोड़कर किया जावें।

2– आवास व्यवसाय हेतु निर्गित भवन के सामने सार्वजनिक नाली तक नाली निर्माण स्वयं की जायेगी।

3– परिबतित भूमि का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिये किये जाने पर पार्किग को व्यवस्था अपनी निजी भूमि में करनी होगी।

4– प्रश्नाधीन भू खण्ड के आसपास स्थति शासकीय भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव न डाला जायें।

5– परिवर्तित भूमि के आसपास ऐसी कोई स्थाई अथवा अस्थाई सरचना निर्मित न की जाये जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

3. अतः मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिता 1559 को धारा 59(2) के अन्तर्गत ग्राम रजौधा की भूमि सर्वे क्रमांक 6095/2 रकबा 0.481 हे. मे से सम्पूर्ण भाग / अशभाग रकवा 33750 वर्गफिट अधीक्षक भू अभिलेख डायवर्सन के प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2010-11 से पुनः निर्धारण रूपये 2059/- प्रीमियम रूपयें 4708/- कायम किया जाता है तथा आवेदक / अनावेदकगण पर अर्थदण्ड रूपये — आरोपित किया जाता है। पटवारी अभिलेख में अमल करें। पूर्व का लगान कम किया जावें। प्रकरण वी 1 बनाने हेतु अधीक्षक भू अभिलेख व्यपवर्तन शाखा मुरैना की ओर भेजा जावे तत्पश्चात प्रकरण निरस्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(हस्ताक्षर) 3/9/11
अनुविभागीय अधिकारी
अम्बाह जिला मुरैना

प्रतिलिपि–

संबंधित श्री रामचरन लाल शिक्षा एवं पर्यावरण समिति की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(हस्ताक्षर) 3/9/11
अनुविभागीय अधिकारी
अम्बाह जिला मुरैना

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)